प्रेस विज्ञप्ति

18.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने 16/08/2025 को तमिलनाडु के डिंडीगुल और चेन्नई में कई स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया, जो पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री आई. पेरियासामी, उनके पुत्र आई.पी. सेंथिल कुमार, विधायक, पलानी निर्वाचन क्षेत्र और अन्य से संबंधित थे।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत श्री आई. पेरियासामी और उनके परिवार के खिलाफ डीवीएसी, तमिलनाडु द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की गई थी। आरोपपत्र में उल्लिखित अपराध पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध हैं। डीवीएसी द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार, श्री पेरियासामी और उनके परिवार के पास लगभग 2 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति थी। आरोपपत्र में आरोप लगाया गया है कि श्री. आई. पेरियासामी ने राजस्व एवं कारागार मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। माननीय विशेष न्यायालय, डिंडीगल ने श्री आई. पेरियासामी और उनके परिवार को आरोपमुक्त कर दिया था। हालाँकि, डीवीएसी की अपील पर, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने अप्रैल, 2025 में आरोपमुक्ति आदेश को रद्द कर दिया और विशेष न्यायालय को निर्देश दिया कि वह मुकदमा चलाकर उसे शीघ्र पूरा करे। हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 18-08-2025 को विशेष न्यायालय, डिंडीगल में चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी।

तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप श्री आई.पी. सेंथिल कुमार, श्रीमती इंद्रा (पुत्री श्री आई. पेरियासामी) के आवासों और मेसर्स इरुलप्पा मिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय परिसर से संपत्तियों/निवेशों से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए, जिसमें श्री आई. पेरियासामी और उनके छोटे पुत्र पी. प्रभु निदेशक हैं। तलाशी दल को मेसर्स इरुलप्पा मिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से संचालित कुछ कागजी कंपनियां भी मिलीं। उक्त कंपनियों के खातों का सत्यापन किया जा रहा है। जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों का भी विश्लेषण किया जा रहा है।

आगे की जांच जारी है।